

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- डॉ० सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्या:- 16/2020

तारीख रजू 16.09.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

**बनाम**

1. ओमप्रकाश गौतम पुत्र चिरंजीलाल गौतम जाति ब्राहमण (एबीओ व मालिक) फर्म-बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी के सामने बजरिया सवाई माधोपुर।
2. रूपचंद जैन पुत्र हेमराज जैन जाति जैन (मालिक) फर्म-सुनीता जनरल स्टोर मैन मार्केट बजरिया सवाई माधोपुर निवासी 178 एम.पी. कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
3. सुनिल अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल जाति महाजन (निदेशक) फर्म पिंक सिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ई-760 रोड नम्बर 9एफ वी.के.आई. एरिया जयपुर निवासी प्लाट नम्बर 224 तीसरा एवन्यू गोमेस डिफेन्स बस्ती जयपुर।
4. सौरभ अग्रवाल पुत्र सुनील अग्रवाल जाति महाजन (निदेशक) पिंक सिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ई-760 रोड नम्बर 9एफ वी.के.आई. एरिया जयपुर निवासी प्लाट नम्बर 224 तीसरा एवन्यू गोमेस डिफेन्स बस्ती जयपुर।
5. सुभम अग्रवाल (निदेशक) पिंक सिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ई-760 रोड नम्बर 9एफ वी.के.आई. एरिया जयपुर निवासी प्लाट नम्बर 224 तीसरा एवन्यू गोमेस डिफेन्स बस्ती जयपुर।

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णय:-

दिनांक.....12/8/21

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर



24.01.2020 को समय 01.00 पी.एम.पर फर्म बालाजी डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्पेन्सरी के सामने बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुँचा वहा पर ओमप्रकाश गौतम पुत्र चिरंजीलाल गौतम उपस्थित मिला को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) 1 लीटर पैक की 11 बोतल एक लकड़ी की रोक में रखी हुयी थी पॉलीपेक दुकान में रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) के क्रय बिल की प्रति पेश की तत्पश्चात नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना की प्रति पेश की तत्पश्चात नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) 1 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर राशि 580 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) 1 लीटर को 4 प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर-बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच-1760 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कमल जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/142 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/122/एक्ट/2020/184/दिनांक 03.02.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) मिसब्राण्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(11) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शक्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि मूंगफली का उत्पादन फर्म द्वारा नहीं किया जाता है मूंगफली का उत्पादन कास्तकारो द्वारा खेत में किया जाता है एवं खेतो मे जो मूंगफली पैदा होती है उसे साफ करके ही उससे तेल का उत्पादन किया जाता है विटामिन ए उस प्रोडक्ट्स में जितना होगा वही आता है। फर्म द्वारा प्रोडक्ट्स किया गया मूंगफली का तेल सब प्रकार से प्योर है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है साथ ही मिस ब्राण्ड अंग्रजी शब्द का प्रयोग गलत किया गया है पिंक सिटी ब्राण्ड ऑयल विटामिन से भरपूर है साथ ही फर्म सुनीता जनरल स्टोर व ओम प्रकाश गौत्तम ने तो फर्म पिंक सिटी ब्राण्ड ऑयल सील बंद विक्रय किया है उत्पादन कर्ता नहीं है। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा अभियोग पत्र अस्वीकार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक


12  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/122/एक्ट/2020/184/दिनांक 03.02.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निर्माण किया गया खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सब स्टेण्डर्ड प्राया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उलघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को सब स्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ फिल्टर्ड ग्राउन्डनट ऑयल (पिंक सिटी) ) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 पर क्रमशः 5000/- रुपये (अक्षरे: पांच हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक.....12/8/21..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर